# पंचायती राजः कुछ अनुभव

पंचायती राज अधिनियम पास हुआ। औरतों को तीस प्रतिशत आरक्षण मिला। औरतों ने बढ़-चढ़कर इस चुनौती को स्वीकारा। उम्मीदें बढ़ीं, खासकर हम औरतों की। कुछ ने हमारा हौसला तोड़ने की भी कोशिशें की, 'अरे ये औरतें क्या कर लेंगी।' पर यह प्रतिक्रियाएं कितनी सही और सच होंगी, या फिर कितनी गलत यह तो समय ही बताएगा। आइए देखें इस विधेयक को लेकर राज्यों में औरतों के क्या अनुभव हैं:

## कर्नाटक में पंचायती राज

1987 में जब पंचायतों में महिलाओं के लिए पच्चीस प्रतिशत आरक्षण हुआ तब चौदह हज़ार औरतों का चुनाव हुआ। पर इनमें से ज्यादातर औरतें या तो किसी नेता की पत्नी-बहन आदि थीं, या फिर उनका चुनाव पुरुषों ने करवाया था।

आज के हालात में फ़र्क है। आज जो औरतें चुनी गई हैं, वे अपनी जिम्मेदारी समझती हैं, साथ ही उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश भी कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर पंचायत की एक महिला सदस्य को पता चला कि गांव में बनने वाली सड़क के लिए पांच ट्रैक्टर बजरी लगनी है। अचानक हिसाब देखने पर पता चला कि अब तक कुल चार ट्रैक्टर बजरी ही आई है। महिला सदस्य ने फौरन पंचायत में मामला उठाया। जब तक बात का फैसला नहीं हो गया उसने मीटिंग से सदस्यों को उठकर जाने नहीं दिया।

इसी तरह बीजापुर की सुमन कोलहर ने अपने गांव में पानी की व्यवस्था कराने के लिए चुनाव लड़ा। जीतने पर प्रशासन की तमाम दलीलों को नाकामयाब करके उसने गांव में सिंचाई के लिए टैंक का निर्माण कराया। अब गांव में किसानों को सिंचाई के लिए पानी आसानी से मिल जाता है। सुमन को इस काम के लिए जी-तोड़ संघर्ष तो करना पड़ा पर उसने साबित कर दिया कि औरतें अपनी परेशानियों से जूझने में खुद सक्षम हैं। सबसे मजे की बात तो यह है कि अब औरतें अपनी समस्याएं पंचायत की महिला सदस्याओं के सामने आसानी से पेश कर पाती हैं। इससे उनकी हिम्मत और मनोबल बढ़ा है।

पंचायत की महिला सदस्याएं ज्यादा बखूबी से काम करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ज़रूरत महसूस करती हैं।

बीजापुर ज़िले में सात सीटों पर औरतें मर्दों के खिलाफ चुनाव लड़ रही थीं। और नतीजा, सातों सीट पर औरतें जीत गईं।

× × ×

एक केस में एक पति ने उच्च न्यायालय में अपील की कि इलाके की एकमात्र आम सीट भी औरतों के लिए आरक्षित कर दी गई है। उसकी पत्नी ने उस सीट के लिए नामांकन भरा है। कोर्ट ने पति की अपील रद्द कर दी।

## उड़ीसा का अनुभव

उड़ीसा में ज्यादातर तादाद गरीब, अनपढ़, मज़दूर वर्ग की महिलाओं की है। साथ ही अमीर

और गरीब वर्ग में काफी फासला भी है। फिर भी उड़ीसा सरकार ने पंचायतों में औरतों को तीस प्रतिशत आरक्षण सबसे पहले दिया। पर सामाजिक हालातों की वजह से ज्यादातर औरतें इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आगे नहीं आ रही हैं।

आरक्षित सीटों पर भी जो औरतें चुनी गई हैं वह महज पुरुषों के हाथ में मोहरे समान हैं। उनका चुनाव किसी की पत्नी, बहन, बेटी होने के नाते किया गया है। नई सामाजिक और राजनीतिक चेतना से भी गांव और पिछड़े इलाकों में लोगों की सोच में बदलाव नहीं आया है। शहरों में भी औरतें राजनीति में आने से कतराती हैं। कई दफा तो ऐसा लगता है कि पंचायत में औरतों की भागीदारी पर जोर देना सरकार का महज एक राजनीतिक हथकंडा है।

इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है औरतों में जागरूकता पैदा करने की जिससे वे खुद-ब-खुद आगे बढ़कर अपने हक़ ले लें।

### पश्चिम बंगाल प्रगति के पथ पर

बंगाल में पंचायतों में औरतों की भागीदारी को लेकर जहां एक ओर केन्द्र और राज्य स्तर पर उत्साह है, वहीं दूसरी ओर निचले स्तर पर लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। वे समझते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी औरतें नहीं उठा पाएंगी। फिर भी औरतें काफी उत्साह दिखा रही हैं।

इस प्रणाली के तहत् औरतों के लिए काफी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्यतः स्वास्थ्य कार्यक्रमों में औरतें काफी सक्रिय रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी (म) के महिला अंग ने गांवों में दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़े पैमाने पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। लगभग 6300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं। करीब दो लाख लोगों को यहां शिक्षा दी जाती है।

एक अहम् कदम भी तजबीज किया जा रहा है। इसके अनुसार पंचायत जब जमीन का वितरण करेगी तब जमीन पति-पत्नी दोनों के नाम पर रजिस्टर की जाएगी। इससे उम्मीद की किरण दिखाई देती है।

### महाराष्ट्र की महिला पंचायतें

73वें संशोधन ने तो पंचायत में एक तिहाई

---

अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार ने पंचायत के सभी वोटरों की मीटिंग बुलाई। फिर उन्हें इक्कीस दिन की तीर्थ-यात्रा पर ले जाया गया जिससे चुनाव के समय कोई भी गांव में मौजूद न हो। है न अपहरण का खूबसूरत तरीका।

एक औरत से जब पूछा गया, 'क्या आप ट्रेनिंग में आओगी'। वह बोली, 'हां पर पति, या देवर के साथ, अकेली नहीं। क्योंकि शादी में भी मैं अकेली नहीं जाती'।

एक ग्राम पंचायत में खबर फैली थी कि अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति की औरत के लिए आरक्षित है। इलाके के गुंडों ने जबर्दस्ती उस औरत से जिसकी चुने जाने की संभावना थी कोरे कागज पर दस्तखत करा लिए। थोड़े दिन में ज़िले के कलक्टर को खबर मिली कि खराब सेहत के कारण वह औरत चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पर जांच से पता चला कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। क्या यही प्रजातंत्र है!

× × ×

# उमा—उत्साही महिला अभ्युदय

दिसंबर 1992 में सरकार ने 73वें संशोधन द्वारा पंचायत में एक-तिहाई सीटें औरतों के लिए आरक्षित कर दीं। पर इस भागीदारी से यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि औरतें अपने इस अधिकार को बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगी। इसका मतलब यह भी नहीं है कि पंचायत में आने वाली सभी औरतें कार्यकुशल और होशियार होंगी। इस समस्या को दूर करने की दिशा में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट ने प्रोजेक्ट उमा के तहत् पंचायत में शामिल औरतों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत् कर्नाटक में औरतों की दो तरह से मदद की जाएगी। पहला, संदर्भ सामग्री के लिए एक केंद्र उमा यानि उत्साही महिला अभ्युदय खोलकर। वहां से जानकारी का वितरण किया जाएगा। इसके माध्यम से पंचायती राज पर काम करने वाली संस्थाओं से संपर्क बनाया जा सकेगा।

इस प्रोजेक्ट का दूसरा काम है कर्नाटक के चार ज़िलों में चुनी गई पंचायत सदस्याओं को प्रशिक्षण देना। इसके साथ 'उमा' पंचायती राज मुद्दे पर काम करने वाली संस्थाओं से जानकारी इकट्ठी करके उसे दूसरे केंद्रों तक पहुंचाने का काम भी करेगी। उमा की इस मदद से चुनी हुई महिला सदस्याओं को अपनी स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने में आसानी होगी।

इस लिए पंचायती राज पर जानकारी के लिए लिखें— □

डायरेक्टर
इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट
न.-57, फर्स्ट फ्लोर, 16th क्रॉस
गायत्री देवी पार्क एक्सटेंशन
व्यालिकवल,
बगंलौर-560003
फोनः 340315

---

भागीदारी की सिफारिश की थी। पर महाराष्ट्र ने आगे बढ़कर एक रिकार्ड बनाया है। यहां नौ ग्राम पंचायतों के सभी पदों पर महिलाएं हैं। यह पंचायत सही मायने में लोगों की जरूरतें प्रशासन के सामने पेश करती है।

ब्राह्मण गढ़ की महिला पंचायत को एक मुख्य बिन्दु के रूप में देखा जा सकता है। पंचायत ने शराब की बिक्री बंद करने के अलावा औरतों के लिए घरेलू उत्पादक योजना की मांग रखी है। महिला पंचायत यहां इसलिए बखूबी काम कर पा रही है क्योंकि यहां पर महिला जागरूकता का लंबा इतिहास रहा है। सामाजिक और विकास संबंधी मुद्दों पर पहले से ही वे काम करती रही हैं। इसलिए उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। कुछेक तो निर्विरोध भी चुनी गईं।

इससे एक बात साफ हो जाती है कि पंचायतों में औरतों की सक्रिय हिस्सेदारी, पंचायतों को ज्यादा जवाबदेह, प्रभावी और प्रगतिशील बना देती है।

'हमारी चिट्ठी आपके नाम'—वीहाई। 'निरन्तर', 'आई.एस.एस.टी.'—उमा प्रचार, से प्राप्त जानकारी पर आधारित